


1180/94
 25/11/94
 न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल एवं लियर मध्य प्रदेश।



1180/94

बलराम प्रसद तनय श्री विश्वनाथ प्रसद मिश्र निवासी ग्राम अनन्तपुर तल्लील हुबूर जिला रीवा मध्य प्रदेश:- - - - - - - - - - - निगरानीकर्ता
 बनाम

रामाश्राय तनय श्री विश्वनाथ प्रसद मिश्र निवासी अनन्तपुर तल्लील हुबूर जिला रीवा मध्य प्रदेश:- - - - - - - - - - - गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुध्द आदेश दिनांक 23/8/94 न्यायालय श्रीमान और आयुक्त महोदय रीवा साम्भग रीवा मध्य प्रदेश अील क्र मा क 283/83-84

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता सन 1959 ई.।

न्यायालय कलेक्टर, जिला रीवा
 दिनांक 21 NOV 1994
 नाम का नाम

Handwritten signature and date: 21/11/94

सन्निवर,

निगरानी के निम्न आधार है।

- 1:- यह कि प्रकरण अील न्यायालय श्रीमान और जिले महोदय तथा और आयुक्त महोदय का आदेश विधि सम्मत नहीं होने से गलत है।
- 2:- यह कि सहायक भू अधिकार अभिलेख अधिकारी रीवा में रेखा. रामाश्राय के हक में नामान्तरण किया किसी स्वत्व अर्जन के ही किया है। नामान्तरण केवल स्वत्व अर्जन पर ही हो सकता है।
- 3:- यह कि निगरानी कर्ता एवं रेखा. दोनों सगे भाई है तथा अति तक विवादित जमीनों का विवादित इन जमीनों का बटवारा नहीं हुआ है जब तक सभी जमीनों का बटवारा नहीं हो जाता तब तक संयुक्त परिवार की भूमियों का नामान्तरण कराने का हक रामाश्राय रेखा. को नहीं है। हिस्सावाट का किसी तरह का अभिलेख प्रस्तुत नहीं हुआ है। परन्तु अभी तक अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बिन्दु पर कोई विचार नहीं किया।
- 4:- यह कि सत्यनारायण द्वारा कथित लेख दान पत्र नहीं है। दान पत्र का कोई भी प्रमाण न्यायालय के गिना जी का प्रस्तुत नहीं हुआ। दानपत्र

25-11-94
 3713

रीवा

पिता

पिता

95-6

रि

म

ख

पक्ष

रि

R. 1188/94 शेख
कलकत्ता / शकल्य

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|--|---|
| २४-७-१६ | <p>आवेदक एवं आवेदक अफि. उपस्थित नहीं/ पूर्व में भी उपस्थित नहीं/ तीन बार आवेदन दायरवादी गई/ कोई उपस्थित नहीं/ अना. अफि. श्री कै.के. बिर्वादी उप./</p> <p>अतः आवेदक आविभाषक की अनुपस्थिति में अफस. पत्रकी में स्वयं रिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">शकल्य</p> | |